संख्याः 1961/VIII/04–प्रशि0/2006

प्रेषक,

आर0के0 चौहान,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी,

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून : दिनांकः 15 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2006

विषयः विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 4279–81/डीटीईयू/भवन/विशिष्ट हरिद्वार/06, दिनांक 27–10–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लि0 इकाई हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत रूपये 393.20 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रूपये 365.22 लाख के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्तुत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल रूपये 100-00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हों। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित निर्माण एजेंन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

5– कार्य करते समय टैण्डर आदि विषयक विषयों का भी अनुपालन किया जायेगा।

6– कार्य करने के पूर्व किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

Bujeet-5

7— कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9— टी0ए0सी0 के निम्न बिन्दु 1 से 9 तक में दर्शायी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से नुपालन कराया जाऐ।

1— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

2— कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जायें।

3— कार्य का उतना ही व्यय किया जाये, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जायें।

4— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांती निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जायें तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जायें।

9— जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

10— मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047.XIV–219 (2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम मे कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

10— व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

11— कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

12— उक्त निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 हेतु अनुदान संख्या—16 मुख्य लेखाशीर्षक—4216—आवास पर पुर्जीगत परिव्यय, 80—सामान्य, 001—निदेशन तथा प्रशासन, 07—राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण के सुसंगत मानक मद 24—वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0:737 /XXVII(5)/2006, दिनांकः12 दिसम्बर, 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1961(1)/VIII/04—प्रशि0/2006, तद्दिनांकित :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3— जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4— वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
5— परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लि0 इकाई—1 हरिद्वार को संशोधित आंगणन की प्रति सहित।
6— वित्त अनुभाग—5
7— नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8— एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9— निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
10— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
11— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

Duject-5